राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3739/2025

मोहम्मद रफिक **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.07.2025
आदेश की दिनांक : 12.08.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में शैक्षणिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दिनांक 05.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। जब अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड में पदस्थ था, तब निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा उसे निदेशालय में पदमुक्त करने का आदेश जारी किया गया था और इस पत्र में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का भी उल्लेख किया गया था, जिससे उन्हें ज्ञात था कि अपीलार्थी दिव्यांग श्रेणी का है (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी दिनांक 28.02.2025 तक वहाँ कार्यरत रहा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2025 (अनुलग्नक–5) के द्वारा, अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड से शैक्षणिक अधिकारी के पद से प्रधानाचार्य के मूल पद पर पदमुक्त कर अपीलार्थी को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 03.03.2025 को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान में कार्यभार ग्रहण किया तथा इस अवधि के दौरान पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में पदस्थ रहा। लगभग 03 महीने की अवधि के बाद अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2025

(अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधेरा, ब्लॉक पांचू जिला बीकानेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2924/2025 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.06.2025 (अनुलग्नक–11) के द्वारा स्थगन प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह विकलांग व्यक्ति है और वह अपने गृह नगर और अपने जिले के नजदीकी स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन चाहता है, जो कि जिला झुंझुनू (अनुलग्नक–6)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2025 (अनुलग्नक–1ए) के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए दिनांक 28.07.2025 (अनुलग्नक–1बी) को ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधेरा, ब्लॉक पांचू, बीकानेर के लिए कार्यमुक्त कर दिया। अपीलार्थी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार उन्हें उपलब्ध सुरक्षा प्राप्त करने एवं साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम नीति दिनांक 03.04.2025 की अधिसूचना अर्थात दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति 2025 (अनुलग्नक–13) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति निदेशालय में 26.11.2021 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार भी अपीलार्थी एक दिव्यांग व्यक्ति है (अनुलग्नक–2)। उनका आगे कथन है कि अपीलार्थी को बीकानेर में पदस्थापित करने का आदेश दिया गया, जो जिला झुंझुनू से काफी दूर है एवं जिला झुंझुनू में प्रधानाचार्य के कई पद रिक्त हैं (अनुलग्नक–7)। अपीलार्थी जिला झुंझुनू, राजस्थान का स्थायी निवासी और अधिवास है (अनुलग्नक–9)। अपीलार्थी ने पूर्व में भी राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के समक्ष निःशक्तता के आधार पर पदोन्नति तथा निःशक्तता के आधार पर पदस्थापना की मांग की थी, जिस पर माननीय राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2023 (अनुलग्नक–10) में कहा गया कि उसे निःशक्तता आरक्षण का लाभ दिया जाए तथा उसे गृह जिले में पदस्थापना भी दी जाए। ऐसी परिस्थितियों में अपीलार्थी, जिसकी सक्षम प्राधिकारी द्वारा 60 प्रतिशतः विकलांगता आंकी गई है और जिसे दिनांक 23.05.2025 के आदेश के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बंधेरा (211378) ब्लॉक पांचू, बीकानेर में पदस्थापित करने का आदेश दिया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2025

(अनुलग्नक–1), दिनांक 28.07.2025 (अनुलग्नक–1ए) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 28.07.2025 (अनुलग्नक–1 बी) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को जिला झुंझुनू में उपलब्ध किसी भी रिक्त पद पर लगाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर में शैक्षणिक अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा दिनांक 05.10.2023 को कार्यभार ग्रहण किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.02.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान मदरसा बोर्ड से शैक्षणिक अधिकारी के पद से प्रधानाचार्य के मूल पद पर पदमुक्त कर अपीलार्थी को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की अनुपालना में दिनांक 03.03.2025 को निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान में कार्यभार ग्रहण किया तथा इस अवधि के दौरान पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में पदस्थ रहा। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधेरा, ब्लॉक पांचू जिला बीकानेर में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2924/2025 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 09.06.2025 के द्वारा स्थगन प्रदान करते हुए प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और अभ्यावेदन के निस्तारण तक आलोच्य आदेश की क्रियान्विति स्थगित रखी गयी एवं साथ ही यह स्पष्ट किया कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह विकलांग व्यक्ति है और वह अपने गृह नगर और अपने जिले के नजदीकी स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण करवाना चाहता है, जो कि जिला झुंझुनू। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन को खारिज करते यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी का प्रशासनिक आधार पर एपीओ उपरान्त पदस्थापन किया गया है, एपीओ पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार के ऐसे कोई दिशा–निर्देश नहीं है जिनमें

किसी दिव्यांग कार्मिक को उनके इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया जावे। किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहां और किस समय स्थानान्तरित/पदस्थापित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम जोगिन्दर सिंह दत्त– (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486) के प्रकरण में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियां पूर्णतया नियोजक के अधीन है। किसी भी लोकसेवक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लघंन नहीं होता है।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा स्वंय को दूरस्थ स्थान पर पदस्थापित किये जाने का अभिकथन किया गया है उसके संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि :–

> ***"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."***

5. अतः उपर्युक्त उल्लेखित आधारों पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन का आख्यात्मक रूप से एवं सम्यक रूप से निस्तारण किया जा चुका है। अतः यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। आलोच्य आदेश में हम किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाते है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य